


Registered post

No. 1057-RTI/557-2016

भारत के नियंत्रक-महानिखापरीक्षक का कार्यालय  
9, डीन दयाल उपस्थाय मार्ग,  
नई दिल्ली-110 124



OFFICE OF THE COMPTROLLER &  
AUDITOR GENERAL OF INDIA  
9 DEENDAYAL UPADHYAYA MARG,  
NEW DELHI - 110 124

15.07.2016

To,

Ms. Ashlesh Devi,  
Indra Nagar Audit Colony  
Typel/08, Dehradhun  
Uttarakhand

RTI/PO No.	6265
Registration No.	15072016000000000000

दिनांक / DATE

26/9/16  
26/9/16  
2/10

Sub: Your application received under RTI.  
Madam,

I am to refer to your application under RTI dated 27.06.2016, received in this office on 01.07.2016. It is to inform that the point wise information sought is as under:

S. No	Information
1	No.
2.	No.
3.	Graduate MTS cannot appear in SAS exam.
4	Copy of instructions issued in this regard vide letter dated 20.02.2014 are enclosed.
5	Your request is being transferred under section 6(3) of the RTI Act, 2005 to CPIO, Railway Board, New Delhi.
6	Such candidate shall be placed junior to all in the respective cadre.

2. The Appellate Authority is Shri, K. B Jamal, Principal Director (Headquarters), Phone no 011-23236776, e-mail: jamalKB@cag.gov.in. The appeal in terms of Section 19 (1) of RTI Act, can be filed within 30 days of receipt of the reply.

Yours faithfully,

Encls: As above.  
(Hindi version will follow)

sd/-

(R Srinivasan)  
Principal Legal Advisor & CPIO  
(Phone no. 011-23237738, email: srinivasanR@cag.gov.in)

व  
मार्ग से उसके अंतर्गत की शर्तों के अधीन ही उसे इस पदवी पर रखा  
जायेगा और इनके अंतर्गत की शर्तों के अधीन ही उसे इस पदवी पर रखा  
जायेगा

सेवा क्र

जनसूचना अधिकाारी भारतीय विप्लवक गणतन्त्र

पदाधिकारी कार्यालय 10 बहादुर - शाह अफगान रोड

जय हिन्दोली - 110124

RECEIVED
DATE 01/07/2016
NO 543
OFFICE
NAME
ADDRESS

विषय सूचना अधिकाारी अधिकाारी 2005 के अधिनियम सूचना  
प्राप्त करने के सम्बन्ध में

कारण - युक्त विप्लव विप्लव पर सूचना देने का कानून

(1) अज्ञात को स्नातक बहुकार्य कर्मचारी परिवारों में अर्थात् और स्थायिकता  
प्राप्त करने के लिए पारम्परिक स्थायिकता के लिए नये कार्यालय में प्राप्त है।  
उस कर्मचारी का युवा कर्मचारी से भी नही सेवा नये कार्यालय में पारम्परिक  
प्राप्त करने के सम्बन्ध में या नही कर सकते हैं तो उस कार्यालय  
के अधिकाारी को भी देने का कानून करें

(2) को स्नातक बहुकार्य कर्मचारी पर पद अथवा पारम्परिक स्थायिकता करवा देना है  
अथवा उस स्नातक के लिए स्थायिकता या स्थायिकता परीक्षा के लिए वे अथवा वे अथवा  
पारम्परिक स्थायिकता करवा सकते हैं या नही अथवा का कानून करें

(3) को स्नातक बहुकार्य कर्मचारी विप्लव परीक्षा के लिए स्नातक से विप्लव  
प्राप्त करने के लिए स्थायिकता के सम्बन्ध में या नही अथवा का कानून करें

अथवा कि को भी देने का कानून करें,  
अथवा कि को भी देने का कानून करें

(4) अज्ञात को स्नातक बहुकार्य कर्मचारी अधिकाारी अधिकाारी अधिकाारी  
अथवा कि को भी देने का कानून करें

अथवा कि को भी देने का कानून करें

अथवा कि को भी देने का कानून करें

1624502



No. 1166 (G.S.)  
11/7/16

प्राप्त  
01/07

*Rtgi post*

No. 1058 RTI/557-2016 dated 15.07.2016

Copy along with the copy of the RTI request is transferred under section 6(3) of the RTI act 2005 to:

✓ 1. Shri. Rakesh Kumar D.D. (PG) & C.P.I.O. (Registration & Coordination) Room.No 05, RTI Cell / RB Railway Board, New Delhi -01, with request to provide the available information, on point no. 5 of the request to the applicant directly.



(R Srinivasan)  
Principal Legal Advisor & CPJO  
(Phone no. 011-23237738, email: [srinivasanR@caq.gov.in](mailto:srinivasanR@caq.gov.in))

Enclosures: As above.

सेवा क्रं

जनसूचना अधिकारी भारतीय विप्रेक्षक अटॉर्नल  
प्रादेशिक कार्यालय 10 बहादुर - शाह अकबर रोड  
जयपुर सिटी - 110124

RECEIVED
DATE 01/07/2018
NO 5413
OFFICE
NAME
ADDRESS

पाठ्य सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना  
प्राप्त करने के संबंध में

आदेश - मुक्त निवेश विद्युत पर सूचना देने का कठक को

1624502

(1) अज्ञात को निम्नलिखित कार्यकारी परिधीय अधिकाधिक स्वयंसेवक  
पूरा देश के लिए पारस्परिक स्थापना करवाने को कार्यालय में अर्जित है जो  
उस कार्यकारी का मुद्रित कार्यालय में की जाये तथा यह कार्यालय में परिधीय  
परीक्षा के स्वयंसेवक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जो उस कार्यालय  
के अधिकाधिक को छोड़ कर ही कर सकते हैं

(2) को निम्नलिखित कार्यकारी पर पर सूचना पारस्परिक स्थापना करवाने के लिए  
अर्जित कर उद्देश्य के लिए निम्नलिखित या निम्नलिखित परीक्षा के अर्जित के लिए  
पारस्परिक स्थापना करवाने करवाने के लिए या नहीं अर्जित का कठक को

(3) को निम्नलिखित कार्यकारी परिधीय परीक्षा पर उद्देश्य के लिए निम्नलिखित  
परीक्षा के लिए अर्जित के लिए अर्जित के लिए निम्नलिखित परीक्षा के अर्जित के लिए  
अर्जित के लिए अर्जित के लिए अर्जित के लिए अर्जित के लिए अर्जित के लिए अर्जित के लिए

No 1166 (Cases)  
11/7/18

(4) अज्ञात को निम्नलिखित कार्यकारी परिधीय अधिकाधिक स्वयंसेवक  
पूरा देश के लिए पारस्परिक स्थापना करवाने को कार्यालय में अर्जित  
के लिए उद्देश्य के लिए अर्जित के लिए अर्जित के लिए अर्जित के लिए अर्जित के लिए अर्जित के लिए

अज्ञात को निम्नलिखित कार्यकारी परिधीय अधिकाधिक स्वयंसेवक  
पूरा देश के लिए पारस्परिक स्थापना करवाने को कार्यालय में अर्जित  
के लिए उद्देश्य के लिए अर्जित के लिए अर्जित के लिए अर्जित के लिए अर्जित के लिए अर्जित के लिए